

डा० भूपिन्दर कौर औलख,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
समुदाय केन्द्र, प्रीति विहार,
नई दिल्ली।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-3

देहरादून, दिनांक: 12 जनवरी, 2018

विषय: द हर्मिटेज एकेडमी साउण्ड वू एन्क्लेव नथुवावाला, देहरादून को सी०बी०एस०ई०, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड के प्रस्ताव संख्या-आंग्ल भाषा / 21606/2017-18 दिनांक 23 अक्टूबर, 2017 द्वारा की गयी संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि द हर्मिटेज एकेडमी साउण्ड वू एन्क्लेव नथुवावाला, देहरादून को सी०बी०एस०ई०, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिये जाने में राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है।

- (क) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली से सम्बद्धता प्राप्त करने हेतु उपर्युक्त स्कूल द्वारा निर्धारित शर्तों/मानकों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
- (ख) विद्यालय की पंजीकरण सोसाइटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- (ग) विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित सदस्य होगा।
- (घ) विद्यालय में उत्तराखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चों के लिये पर्याप्त स्थान यथा निर्दिष्ट सुरक्षित रहेंगे।
- (ङ) संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी भी प्रकार के अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि विद्यालय पूर्व में विद्यालयी शिक्षा परिषद, उत्तराखण्ड से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजुकेशन नई दिल्ली/काउन्सिल फार द इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान जैसी स्थिति हो, स्वतः समाप्त हो जायेगी।
- (च) संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेगे।
- (छ) विद्यालय/संस्था में कार्यरत कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्त लाभ उपलब्ध कराये जायेगे।
- (ज) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था/स्कूल उनका पालन करेगी।
- (झ) विद्यालय तथा विद्यार्थियों से सम्बन्धित सभी अभिलेख निर्धारित प्रपत्रों/पंजीकों में रखे जायेंगे।
- (ट) उक्त शर्तों में बिना शासन के पूर्वानुमोदन के कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।


PRESIDENT
THE HERMITAGE ACADEMY
NATHUWALA, D.Dun


PRINCIPAL
THE HERMITAGE ACADEMY
NATHUWALA, D.Dun


Principal
The Hermitage Academy
Nathuwala, D.Dun

(ठ) संस्था/विद्यालय में शिक्षण तथा शिक्षणोत्तर वे ही शिक्षक/कर्मचारी रखे जा सकेंगे जो राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में रखे जाने हेतु शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अर्हता पूर्ण करते हों, अर्थात् अप्रशिक्षित एवं निर्धारित शैक्षिक अर्हता से अन्यून शिक्षक/कर्मचारियों को विद्यालय में समायोजित नहीं किया जायेगा तथा ऐसा पाये जाने पर अनापत्ति वापस ले ली जायेगी।

2. भविष्य में यदि यह पाया जाता है कि निरीक्षण आख्या/प्रस्ताव त्रुटिपूर्ण है तथा स्कूल प्रबंधन द्वारा दिये गये शपथ पत्र में कोई असत्य कथन किया गया है या तथ्यों को छुपाकर कथन किया गया है जो यथा नियमों के अधीन नहीं है तो इसकी जबाबदेही/उत्तरदायित्व निदेशक एवं नियन्त्रक अधिकारी/मुख्य शिक्षा अधिकारी का होगा एवं साथ ही दी जा रही अनापत्ति निरस्त/वापस कर ली जायेगी तथा स्कूल प्रबंधन एवं संबंधित अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारण करते हुए सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

3. उक्त विद्यालयों द्वारा भूमि उपयोग/निर्माण सम्बन्धी सभी नियमों/आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। यदि उक्त संस्था/स्कूल का किसी भी भूमि पर कोई अवैध कब्जा आदि पाया जाता है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस ले लिया जायेगा।

4. संस्था/स्कूल द्वारा शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 में उल्लिखित प्राविधान कि 25 प्रतिशत सरकार प्रायोजित कमजोर एवं उपेक्षित वर्ग के छात्रों को निजी शिक्षण संस्थानों में आवश्यक रूप से शिक्षा दी जायेगी, का भी पूर्ण रूप से पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5. संस्था/स्कूल द्वारा प्रत्येक वर्ष U-DISE(Unified District Information System In Education) में सम्बन्धित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में जमा किया जाना अनिवार्य होगा।

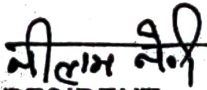
6. विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा एवं बच्चों की सुरक्षा हेतु सभी आवश्यक कदम स्कूल प्रबंधक द्वारा अनिवार्य रूप से उठाये जायेंगे एवं इस दिशा में समय-समय पर मा0 न्यायालय एवं सरकार द्वारा दिये जाने वाले आदेशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। विद्यालय प्रबंधन की चूक से विद्यालय में अध्ययनरत किसी बच्चे की सुरक्षा खण्डित होने अथवा बच्चों को जान-माल का नुकसान होने पर विद्यालय प्रबंधक के विरुद्ध नियमानुसार सुसंगत कार्यवाही किये जाने का अधिकार राज्य सरकार को होगा एवं प्रतिकूल स्थिति होने पर अनापत्ति प्रत्यावर्तित/निरस्त कर दी जायेगी।

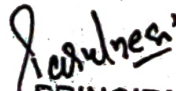
7. उपरोक्त समस्त प्रतिबन्धों/शर्तों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस ले लिया जायेगा।

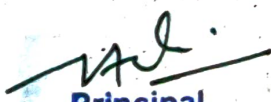
भवदीया,

(डा0भूपिन्दर कौर औलख)
सचिव।

प्रष्ठांक संख्या-1415(1)/XXIV-3/2017/01(12)2017, तददिनांक.
प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित
(1) निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।


PRESIDENT
THE HERMITAGE ACADEMY
NATHUWALA, D.Dun


PRINCIPAL
THE HERMITAGE ACADEMY
NATHUWALA, D.Dun


Principal
The Hermitage Academy
Nathuwala, Dehradun (UK)
कमरा-3

- (2) जिलाधिकारी, देहरादून।
- (3) अपर शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- (4) मुख्य शिक्षा अधिकारी, देहरादून।
- (5) प्रधानाचार्य, द हेरिटेज एकेडमी माउण्टन एम्बलेव नथुवाला, देहरादून।
- (6) गार्ड फाइल

आज्ञा से,

ह.स.स.।
(महिमा)

उप सचिव।

नीलम नेगी
PRESIDENT
THE HERMITAGE ACADEMY
NATHUWALA, D. Dun

P. S. S. S.
PRINCIPAL
THE HERMITAGE ACADEMY
NATHUWALA, D. Dun